

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

ग्यारहवां सत्र

सोमवार, 29 फरवरी, 2016/10 फाल्गुन, 1937(शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

- (i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
- } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

- दिन के लिए
- } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, सोमवार, 29 फरवरी, 2016 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

3. अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2015-2016:-

- (1) सामान्य चर्चा ।
(2) वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) पर चर्चा, मतदान एवं उनका पारण ।

4. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 1) वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 1) वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:

श्री जगजीवन पाल, निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:

कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाए:-

“इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का, दिनांक 25 फरवरी, 2016 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं।”

श्री अजय महाजन, प्रस्ताव का अनुसमर्थन करेंगे।

शिमला-171 004
दिनांक: 27 फरवरी, 2016

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)